उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/NCR/Allowances
दिनांक : 05/09/2017

RBE No. 110/2017
NCR PS No.5144/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub Implementation of the recommendations of the Seventg Central Pay Commission accepted by thr Government-Spacial Level Crossing (LC) Gate Allowance to Track Maintainers

The copy of Railway Board's letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/CE-1 dated 30.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

05.9.17

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 48
RBE No. 110/2017

No. E(P&A)I-2017/SP-1/CE-1

New Delhi, dated 30.08.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Special Level Crossing (LC) Gate Allowance to Track Maintainers.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to revise the rates of Special Level Crossing (LC) Gate Allowance to Track Maintainers deployed for manning any of the Engineering Gates, to be paid as per cell R3H3 of the Risk and Hardship Matrix. The rate of this allowance will be ₹1000/- per month upto level 8 in Pay Matrix (VII CPC) and ₹1200/- per month for level 9 and above in Pay Matrix (VII CPC).

2. The rate of this allowance will further increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

3. The revised rates of allowance shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

4. The other terms and conditions stipulated in Board's letter E(P&A)I-97/SP-1/CE-1 dated 27.01.2003, E(P&A)I-2009/SP-1/CE-1 dated 20.12.2010 and 11.09.2012 shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/CE-1

New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

CPO Adm
SPO/HQr.
already discussed
Pl study & discuss
OS/Banerjee
Pl. circulate today
01.9.17
CPO

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

पीसी-VII सं. 48
आरबीई सं. 110 /2017

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/सीई-1 नई दिल्ली, दिनांक 30 .08.2017

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - ट्रैक मेंटेनरों को विशेष लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट भत्ता।

*****

भत्तों में संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष किसी भी इंजीनियरिंग गेट की मैनिंग के लिए तैनात ट्रैक मेंटेनरों को रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स के सेल आर3एच3 के अनुसार दिये जाने वाले विशेष लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट भत्ते की दरों में संशोधन करते हैं। इस भत्ते की दर पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 8 तक ₹1000/- प्रति माह और पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 9 और इसके ऊपर में ₹1200/- प्रति माह होगी।

2. प्रत्येक बार डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में भी 25 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।

3. भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होंगी।

4. बोर्ड के दिनांक 27.01.2003 के पत्र ई(पी एंड ए)I-97/एसपी-1/सीई-1, दिनांक 20.12.2010 और 11.09.2012 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एसपी-1/सीई-I में अंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

6. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)I-2017/एचएल/1 नई दिल्ली, दिनांक 30 .08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें